पन्नाधाय जीवन अमृत योजना 2020

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई "पन्नाधाय जीवन अमृत योजना" गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी गरीब लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इस योजना के तहत, उन बीपीएल परिवारों को लाभ मिलता हैं, जिनके मुख्य सदस्य (परिवार के मुखिया), जो घर चला रहे थे, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इस योजना के माध्यम से परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि-

Amount Received under Pannadhay Jivan Amrit Yojana – पन्नाधया जीवन अमृत योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के धारको को निम्न सहायता राशि प्रदान की जाती है:

- अगर किसी परिवार के किसी सदस्य की किसी कारण या किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार की सामान्य मृत्यु पर पन्नाधया जीवन अमृत योजना (Pannadhay Jivan Amrit Yojana) के माध्यम से उस बीपीएल परिवार को 30 हजार रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- अगर किसी परिवार के सदस्य के अकारण वश किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह व्यक्ति दुर्घटना के बाद शाररिक रूप से अपंग हो जाता है उस बीपीएल परिवार को 75 हजार रुपए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- यदि किसी बीपीएल परिवार के व्यक्ति की किसी दुर्घटना में दोनों पैर टूट जाते है या हाथ या आँख से कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है तो उस बी पी एल परिवार को 75 हजार रूपये आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जायेंगे।
- अगर कोई व्यक्ति किसी भी एक अंग से अपंग हो जाता है जैसे एक आँख से एक पैर से या एक हाथ से तो इस योजना के माध्यम से उस व्यक्ति के परिवार को 37 हजार रूपये की आर्थिक सहायता के रूप में राशि प्रदान की जाएगी।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना छात्रवृत्ति के रूप में सहायता राशि-

Assistance in the form of Pannadhay Jivan Amrit Yojana Scholarship – राजस्थान सरकार द्वारा 9 से 12 कक्षा के छात्र छात्राओं को पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के माध्यम से छात्रवृत्ति के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से BPL परिवार के सभी में छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। BPL परिवार के केवल 2 छात्र छात्राओं को 12 सौ रुपए प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है , जो अधिकतम 4 साल तक ही दी जा सकती है। छात्रवृत्ति को प्रतिमाह 100 रुपए दिए जाते हैं, जो कि वर्ष में 12 सौ होते हैं।

इस प्रकार की सूचना के माध्यम से BPL परिवार के एक छात्र को 48,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती हैं, ताकि गरीब परिवार का हर बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करके उज्जवल भविष्य बना सके।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के लिये पात्रता / योग्यता शर्ते व नियम-

Eligibility Conditions for Pannadhay Jivan Amrit Yojana – अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास निम्नलिखित पात्रता मापदंड होना अनिवार्य है, जो इस प्रकार से है:

- अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है
- इस योजना के तहत यदि आप किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप के पास आशा कार्ड होना या बीपीएल कार्ड (Asha Card or BPL Card) होना अनिवार्य है।
- परिवार के मुख्या सदस्य का बिमा पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के अंतर्गत किया जायेगा अर्थात जो व्यक्ति परिवार के लिए कमाता है केवल उसी की मृत्यु पर आर्थिक सहायता के रूप में राशि प्रदान की जाएगी।
- योजनांतर्गत यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपके परिवार मुखिया की यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो मुखिया की आयु 18 साल से 59 साल तक होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ प्राप्त हो पायेगा।